

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती गीता बनाम श्रीमती ऐजी (कॉम)

किस्म मुकदमा ..... प्र.०५२/१११/२५५ ..... नं० ..... ९३ ..... सन २०२३ .....

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-6-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p>	
28-6-23	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं महंगाई रक्षक कैम्प 2023 ग्राम पंचायत माण्डल में पेवा हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। प्रार्थना का शा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठा से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल है।</p> <p>हुक्मीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीछासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 93/23 प्राणपत्र

1- श्रीमती गीता देवी जी जामना लाल बैरवा निवासी-कोटडी तहसील भीलवाडा

-प्रार्थी

वनाम

1- श्रीमती देवी देवी जी रायगल बैरवा निवासी-कोटडी तहसील भीलवाडा (पंजीवद्ध)  
(प्रतिबंधित प्राणपत्र सलंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:- 28.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **पीधारा** पटवार हल्का **पीधारा** तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. **1611, 2934/2711** कुल किता **0.2** रकबा **0.6323** हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादाधिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **09.06.23** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **पीधारा** पटवार हल्का **पीधारा** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. **1611, 2934/2711** कुल किता **0.2** रकबा **0.6323** हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **पीधारा** को **500/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023